20.05.2016 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए असरावद खुर्द, इंदौर में 500 सीटों वाले छात्रावास के भूमिपूजन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण।

1. आज यहां पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए पांच सौ सीटों वाले छात्रावास के भूमिपूजन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले 13.50 करोड़ रुपए और राज्य सरकार के डेढ़ करोड़ रुपए के अंशदान, यानी कुल 15 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाला यह छात्रावास इंदौर आकर पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण संबल सिद्ध होगा। यह छात्रावास सर्वसुविधायुक्त होगा और दूरदराज से आकर यहां अध्ययन करने वाली बालिकाओं के लिए शिक्षा प्राप्ति के साथ ही उनके कौशल विकास के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

2. मेरा मानना है कि शिक्षा सामाजिक बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है। शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से सशक्तिकरण होता है, सशक्तिकरण से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास से उपलब्धियां हासिल होती हैं जो हमें खुशियां देती हैं। शिक्षा अज्ञानता के अंधेरे से प्रकाश की ओर और शोषण से सशक्तिकरण की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यह ऐसा उपहार है जो माता–पिता बच्चों को देते हैं और जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता है।

3. शिक्षा राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक घटक है। उसमें भी स्त्री शिक्षा का विशेष महत्व है। ईसा से 500 वर्ष पूर्व वैयाकरण पाणिनि ने नारियों के द्वारा वेद–अध्ययन की चर्चा की है। स्त्रोतों की रचना करने वाली नारियों को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। इनमें रोमशा, लोपामुद्रा, घोषा, इंद्राणी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार पुस्तक रचना, शास्त्रार्थ तथा अध्यापन कार्य के द्वारा नारी उच्च शिक्षा का उपयोग करती थी। नारियों की योग्यता कहीं भी पुरुष विद्वान से कमतर नहीं थी। वस्तुतः, ललित कला, संगीत एवं नृत्य

में तो वे सर्वश्रेष्ठ रही ही, शास्त्रार्थ में भी किसी से कमतर न थीं। शास्त्रार्थ प्रवीणा, महान विदुषी गार्गी का नाम आज भी बहुत सम्मान से लिया जाता है।

4. हमारे देश में शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए काफी प्रयास हुए हैं। हम महिला साक्षरता के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 1911 में साक्षरता दर जहां केवल 5.29 प्रतिशत थी और महिला साक्षरता केवल 1.05 प्रतिशत थी, वहीं एक शताब्दी के बाद यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता दर 73 प्रतिशत है और महिला साक्षरता में भी बहुत सुधार हुआ है जो अब 64.6 प्रतिशत है। फिर भी पुरुषों की साक्षरता दर की तुलना में यह अभी भी कम है, जो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 80.9 प्रतिशत है।

5. आज भी प्राथमिक शिक्षा के बाद ड्रॉप आउट की दर चिंताजनक बनी हुई है। उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट की समस्या तो और भी गंभीर है। इसके कई कारण हैं। संसाधनों की कमी, शैक्षणिक सुविधाओं की अनुपलब्धता एवं कुछ सामाजिक कारण भी हैं। अनेक गांवों में माता–पिता अपनी बच्चियों को इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाने के लिए दूर किसी शहर में भेजना पड़ता है और वहां रहने की सुविधाओं के अभाव में, लड़कियों की सुरक्षा जैसी उनकी अनेक चिन्ताएं होती हैं। हमारे यहां उच्च शिक्षा के केंद्र आज भी गांवों से दूर, मध्यम अथवा बड़े शहरों में केन्द्रित हैं, इसलिए गांवों की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा अभी भी आसान नहीं है। ऐसे छात्रावास बनने से इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

6. स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं, जैसे शौचालय का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है, जिससे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में माता–पिता अपनी बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते थे। इस समस्या के निदान के लिए 15 अगस्त 2014 को लाल किले से अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने **''स्वच्छ विद्यालय अभियान''** की घोषणा की और सभी स्कूलों में बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालयों की व्यवस्था का संकल्प लिया था। और, यह बहुत खुशी की बात है कि डेढ़ साल के रिकॉर्ड समय में

देशभर में 2 लाख 61 हजार स्कूलों में सवा चार लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं। इस महत्वपूर्ण संकल्प को पूरा करने में निजी क्षेत्र ने भी बढ़–चढ़कर सहयोग किया।

7. जब महिलाएं अर्थव्यवस्था में सक्रियता से हिस्सा लेती हैं, तो देश का सर्वांगीण विकास होता है और समाज के सभी घटक उससे लाभान्वित होते हैं। महिलाओं को सशक्त करना किसी भी समाज अथवा देश की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है क्योंकि बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा में निवेश सबसे लाभदायक निवेश होता है। यह इस बात से समझा जा सकता है कि जैसे ही महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, उसके साथ–ही–साथ child death ratio, mortality rate, population growth आदि सामाजिक संकेतकों में कमी आई है। स्वास्थ्य के स्तर में भी अपेक्षित सुधार हुआ है। जब हम एक पुरुष को शिक्षा देते हैं, तो सामान्यतः यह कहते हैं कि केवल एक पुरुष को शिक्षा प्राप्त हुई लेकिन जब एक महिला को शिक्षा मिलती है, तो उसके कारण पूरे परिवार एवं आने वाली कई पीढ़ियां उनकी शिक्षा से लाभान्वित होती हैं।

8. इतना ही काफी नहीं है, बालिका शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए और भी प्रयास करने होंगे। यदि हम राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें सभी वर्गों के विकास एवं कल्याण के साथ आधी आबादी यानी महिला शक्ति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। **इनमें सबसे पहले ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना'' का नाम लेती हूं ,जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज से लिंगभेद को समाप्त करना, बालिकाओं के जन्म और उनकी सुरक्षा के साथ–साथ उनकी शिक्षा को भी सुनिश्चित करना है।**

9. मैं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना की भी चर्चा करना चाहूंगी, जिसके तहत माता–पिता को अपनी बच्ची के लिए भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए बैंक या डाकघर में एक कोष का निर्माण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

10. **जब मैं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी के मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास मंत्री थी तब मैंने महिलाओं को उनके साहस, उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से छह श्रेणियों में स्त्री शक्ति पुरस्कार की शुरूआत की थी जो भारत की महान शासिकाओं देवी अहिल्याबाई, देवी कण्णगी, माता जीजाबाई, रानी गैंडिनल्यु, रानी लक्ष्मीबाई एवं रानी रूद्रमा देवी के नाम पर दिया जाता है। यह पुरस्कार हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया जाता है जिसमें सम्मानित की जाने वाली स्त्री शक्ति को भारत के माननीय राष्ट्रपति के कर–कमलों द्वारा तीन लाख रुपये का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ऐसे पुरस्कारों से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलता है एवं वे और प्रेरित होकर अपने कार्य में जुटती हैं।**

11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति–जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिनमें शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए छात्रवृत्ति योजना, छात्रावास योजना इत्यादि प्रमुख हैं। मंत्रालय द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम भी चलाई जाती है ताकि वे कम संसाधन में भी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। साथ ही, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को कौशल विकास हेतु एवं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए कई संस्थानों को identify किया गया है। ये संस्थान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए समय–समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे वे मेधाविता के उस स्तर को पा सकें ताकि वे नौकरी/व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु परीक्षाएं पास कर सकें।

12. नेशनल ओवरसीज स्कीम, जिसमें विदेश जाने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप मिलती हैं, उसमें भी 30 प्रतिशत निधियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी प्रकार, एक अन्य योजना **राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप स्कीम** है,

जिसके तहत देश में एम.फिल. एवं पी.एचडी. करने के लिए अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को सब्सिडी मिलती है। ओबीसी के विद्यार्थियों को **डॉ. अम्बेडकर स्कीम** के तहत विदेश में पढ़ाई करने के लिए उन्हें दिए जाने वाले एजुकेशन लोन पर सब्सिडी मिलती है।

13. **बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना** के तहत सरकार द्वारा बनाए जा रहे छात्रावास के निर्माण किए जाने हेतु संबंधित एजेंसी को शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जबकि यदि कोई एनजीओ ऐसे छात्रावास का निर्माण करता है तो उसे 90 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार, Denotified Nomadic Tribes के विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रावास के निर्माण के लिए **नानाजी देशमुख स्कीम** के तहत सब्सिडी दी जाती है।

14. इन वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ब्याजमुक्त रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना, कौशल विकास के लिए सूक्ष्म ऋण की योजना एवं उद्यम के लिए उद्यम पूंजी निधि की योजना भी सरकार द्वारा चलायी जा रही है। इन योजनाओं की मदद से वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उसी तरह, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अस्पृश्यता निवारण योजना के अंतर्गत ऐसी एन.जी.ओ., जो लक्ष्य समूहों के लिए कार्य करती हैं, को समुचित सहायता प्रदान कर एवं राष्ट्रीय पुरस्कार आदि देकर उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है।

15. **भारत में जब भी महिलाओं को आगे आने का मौका मिला है, तो उन्होंने हमेशा अपनी प्रतिभा प्रमाणित की है। अवसर मिलने पर इन्होंने न सिर्फ अंतरिक्ष की यात्रा की हैं, बल्कि वे अब फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं। वे सैनिक भी हैं, अध्यापिका, डॉक्टर और इंजीनियर तो वे पहले से ही रही हैं। उनका यह चतुर्मुखी रूप देखकर मुझे बहुत रोमांच होता है।** आने वाला समय महिलाओं का है और मैं मानती हूं कि देश सेवा के किसी भी मौके को भुनाने में महिलाएं कभी भी, कहीं भी पीछे नहीं रहीं, ना रहेगी। मैं सभी बालिकाओं/महिलाओं से आह्वान करना चाहती हूं कि वे आगे आएं एवं स्वयं को

शक्ति–सम्पन्न, उर्जा–सम्पन्न एवं ज्ञान–सम्पन्न बनाएं। आपके विकास में ही सम्पूर्ण भारत के विकास का अक्स दिखता है।

16. आज हम सब डिजिटल युग में रह रहे हैं। की–बोर्ड और माउस से सेवा प्रदान करने के तौर–तरीके बदल रहे हैं और शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। कम्प्यूटर, टेबलेट और स्मार्टफोन, स्लेट, पेन और पेंसिलों की जगह ले रहे हैं। छात्रों और अध्यापकों को दूरगामी महत्व के इन बदलावों की ओर ध्यान देना चाहिए और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए।

17. सूचना क्रांति के इस युग में गांव और शहर के बीच का अंतर अत्यन्त कम हो गया है। बालिकाएं भारतीय संस्कृति और परम्परा को अक्षुण्ण रखते हुए अपने–आपको हर क्षेत्र में सफल साबित करना चाहती हैं। उनके अंदर इच्छा भी है, प्रतिभा भी है और अब उन्हें अवसर भी मिल रहे हैं। हमारा लक्ष्य बस यही होना चाहिए कि हम उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें।

18. आज इस बालिका छात्रावास के लिए भूमि पूजन करते समय उपस्थित सभी महानुभावों से मैं निवेदन करती हूं कि महिला–उत्थान के इस पुनीत कार्य में अपना–अपना हाथ बंटाएं। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत जी यहां उपस्थित हैं, जिनका मैं इंदौरवासियों की तरफ से अभिनंदन करती हूं और यह आशा करती हूं कि अपने मंत्रालय की योजनाओं से वे सदैव इंदौरवासियों को लाभान्वित करते रहेंगे। उन्होंने मुझे विशेष तौर पर बुलाया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से भी उनके प्रति आभार प्रकट करती हूं।

19. मैं समझती हूं कि इस छात्रावास का काम समय पर पूरा होगा तथा बालिकाओं को शीघ्र ही एक आधुनिक एवं हर सुविधा से सम्पन्न छात्रावास सुलभ होगा, जिसमें रहकर वे अपने कैरियर को नई उड़ान देगी। मैं उन सभी बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं, जो यहां रहेगी।

धन्यवाद।